झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांकः–7 वि०शा० / मु०या०–02–01 / 2019 - 21/19-20 पु० स्वी० राँची, दिनांकः 02-08-2019

प्रेषकः

अरूण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः **आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।**

विषयः **सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, देवघर के अन्तर्गत रेशमा फीडर योजना, कैराबनी जलाशय योजना के विभिन्न गेटों का जीर्णोद्धार एवं अन्य यॉंत्रिक कार्य हेतु रू० 14.69 लाख (चौदह लाख उनहत्तर हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, देवघर के अन्तर्गत रेशमा फीडर योजना, कैराबनी जलाशय योजना के विभिन्न गेटों का जीर्णोद्धार एवं अन्य यॉंत्रिक कार्य हेतु रू० 14.69 लाख (चौदह लाख उनहत्तर हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (A) **रेशमा फीडर योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले यॉंत्रिक कार्य (रू० 10.013 लाख) :–**

(i) रेशमा फीडर योजना के एक अदद H/R एवं एक अदद C/R गेट का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।

(ii) प्लेटफार्म एवं रेलिंग के साथ नया उत्तोलन प्रणाली लगाने का कार्य।

(iii) नया इम्बेडिंग, बॉटम सील, बेस बीम, साइड रबर सील, बेस एवं साइड रबर सील पाथ लगाने का कार्य।

(iv) विभिन्न अवयवों की मरम्मति एवं अन्य आवश्यक संबंधित कार्य।

कराये जाने वाले कार्य मदों का अवयववार वित्तीय विवरण निम्नवत् है :–

Sl.	Component	Amount (Rs.)
1.	Labour charge for complete cleaning, washing of gates, vents etc.	6059.00
2.	Providing fabricating, fitting & fixing of Embedding Component for H/R & C/R gates.	405261.00
3.	Providing fabricating, fitting & fixing of H/R & C/R gates.	185057.00
4.	Providing fabricating, fitting & fixing of Hoist bridge & platform of C/R & H/R gates.	110549.00
5.	Providing fabricating, supplying, fitting & fixing of Hoisting arrangement for H/R & C/R gates.	119500.00
6.	Dismantling R.C.C. work/B.M. work of C/R & H/R gates.	6741.00
7.	Providing & laying PCC/RCC M-150 with nominal mix of (1:2:4).	43257.56
	Total :-	**Rs. 876454.56**
	Add 12 % GST	**Rs. 105174.54**
	Total:-	**Rs. 981629.10**
	Add 1% Labour cess	**Rs. 9816.29**
	Add 1 % Contigency	**Rs. 9816.29**
	Grand Total :-	**Rs. 1001261.68**
	Say	**Rs. 10,01,300.00**

B) **कैराबनी जलाशय योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले यॉंत्रिक कार्य (रू० 4.677 लाख) :–**

(i) योजना के मुख्य शीर्ष कार्य पर एक अदद H/R गेट का जीर्णोद्धार कार्य।

(ii) गेट के जीर्णोद्धार हेतु नया इम्बेडिंग एवं गेट लगाने का कार्य।

(iii) जल स्त्राव रोकने हेतु साइड सील सीट, बॉटम सील सीट एवं टॉप सील सीट लगाने का कार्य।

(iv) नया ट्रेस रेक एवं उत्तोलन प्रणाली लगाने का कार्य।

(v) विभिन्न अवयवों की मरम्मति एवं अन्य संबंधित कार्य।

कराये जाने वाले कार्य मदों का अवयववार वित्तीय विवरण निम्नवत् है :–

Sl.	Component	Amount (Rs.)
1.	Labour charge for complete cleaning, washing of gates, vents etc.	4544.00
2.	Providing fabricating, fitting & fixing of Embedding Component for H/R gates.	127727.00
3.	Providing fabricating, fitting & fixing of H/R gates.	82354.00
4.	Providing fabricating, fitting & fixing of Hoist beam of H/R gates.	41965.00
5.	Providing fabricating, supplying, fitting & fixing of Hoisting arrangement of H/R gates.	83899.00
6.	Providing fabricating, fitting & fixing of Top Trush rack & inlet vent trush rack of H/R gates.	55315.00
7.	Dismantling R.C.C. work/B.M. work.	3160.78
8.	Providing & laying PCC/RCC M-150 with nominal mix of (1:2:4).	10357.99
	Total :-	**Rs. 409322.77**
	Add 12 % GST	**Rs. 49118.73**
	Total:-	**Rs. 458441.50**
	Add 1% Labour cess	**Rs. 4584.41**
	Add 1 % Contigency	**Rs. 4584.41**
	Grand Total :-	**Rs. 467610.32**
	Say	**Rs. 4,67,610.00**

3. **यह कार्य बजट शीर्ष :–**

मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–80–लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय–उप शीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

4. इन कार्यो को वर्ष 2019–20 में प्रारम्भ करके एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

5. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, देवघर होंगे।

6. राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं०–2561 दिनांक–17.08.1998 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

7. इस कार्य का समावेश वर्ष 2019–20 के सी0ओ0बी0टी0 में समेकित रूप में है।

8. झारखंड कोषागार सहिता नियम 300 का अनुपालन दृढता से किया जायेगा।

9. राशि की निकासी देवघर कोषागार से की जायेगी।

10. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

11. इस कार्य को वर्ष 2019–20 में प्रारंभ कर एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

12. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदकं के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।

13. स्वीकृत कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

14. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

15. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कार्य के प्रारम्भ कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

2.8.19

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पत्रांकः–7 वि०शा०/मु०या०–02–01/2019-21/19-20 प्र० स्वी० राँची, दिनांकः 02.08.19

प्रतिलिपिः वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:–यथोक्त।

2.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

पत्रांकः–7 वि०शा०/मु०या०–02–01/2019-21/19-20 प्र० स्वी० राँची, दिनांकः 02.08.19

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, देवघर, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:–यथोक्त।

2.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

पत्रांकः–7 वि०शा०/मु०या०–02–01/2019-21/19-20 प्र० स्वी० राँची, दिनांकः 02-08-19

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, राँची/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, राँची/उप सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अनु0:–यथोक्त।

2.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

पत्रांकः–7 वि०शा० / मु०या०–02–01 / 2019-21/19-20 प्र० स्था०   राँची, दिनांकः 02-08-19

प्रतिलिपिः आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०ः–यथोक्त्।

2.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

पत्रांकः–7 वि०शा० / मु०या०–02–01 / 2019-21/19-20 प्र० स्था०   राँची, दिनांकः 02-08-19

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति Online करने हेतु प्रेषित।

अनु०ः–यथोक्त्।

2.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव